

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु
(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

अपील संख्या - 4/2022

अपीलांट

बनाम

उत्तरदाता

- | | |
|---|--|
| <p>1. जमना पुत्री खेतीदास पत्नी मानमल के वारिस
1/1 देवकिशन पुत्र जमना पत्नी मानमल जाति महाजन (माहेश्वरी) निवासी बांड तहसिल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर</p> | <p>1. ग्राम पंचायत रतेऊ/ मदो की ढाणी द्वारा सरपंच तहसिल गिड़ा
2. स्वर्गीय ताराचंद पुत्र नथमल के वारिसन
2/1 रामेश्वर पुत्र ताराचंद
2/2 नरिसंगा राठी पुत्र ताराचंद
2/3 नंदकिशोर पुत्र ताराचंद
2/4 राजेंद्र पुत्र ताराचंद
3. तिलोक चंद पुत्र नथमल
4. धनराज पुत्र नथमल
5. ओंकार लाल पुत्र नथमल
6. रामेश्वर लाल पुत्र खेतीदास
7. नरसिंग राठी पुत्र खेतीदास
8. नंदकिशोर पुत्र खेतीदास
9. राजेन्द्र लाल पुत्र खेतीदास</p> |
|---|--|

जाति माहेश्वरी निवासी रतेऊ तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर

दिनांक :- 17/10/2022

अस्थित :-

1. श्री रतनाराम जाखड़ एडवोकेट अपीलांटगण

:-निर्णय:-

1. अपीलांट की ओर से अपील धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत रतेऊ/ मदो की ढाणी द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 796 दिनांक शुन्य के विरुद्ध पेश की गयी।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट उत्तरदाता संख्या 2 से 9 मूतवफी रतनीदास के वसंज है जिनकी सामिलाती स्वअर्जित भुमी खसरा नम्बर 409, 409/1, 625, 777, 776 रकबा क्रमशः 45.15 89.03, 59.14, 208.16, 0.05

सहायक कलक्टर (SDC),
बायतु
जिला - बाड़मेर

बीधा मूल गांव रतेऊ तहसिल गिज़ा जिला बाङ्गमेर में आई हुई है। यह अपील खसरा नम्बर 409, 409/1, 625, में अपीलांट के नाना खेतीदास की फौतगी पर भरे गये नामांतकरण संख्या 796 दिनांक शुन्य में अपीलांट की माता जमना जो खेतीदास एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना थी का न भर कर उत्तरदाता संख्या 2 के पिता ताराचंद पुत्र नथमल को दत्तक पुत्र बताते हुए भरा गया। जबकि ताराचंद जो खेतीदास के द्वारा कभी दत्तक या गोद नहीं लिया गया था खेतीदास की एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना के जीवित होते हुए ताराचंद दत्तक पुत्र खेतीदास के नाम से नामांतकरण उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पारित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गयी।

3. अपीलान्ट की अपील म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। तामि हेतु अपीलांट अधिवक्ता अखबार छाया करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार कर उत्तरदातागण के समन अखबार छाया कर तलब किया गया। बावजूद तामिल रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपील अन्दर म्याद पेश है क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को आलौच्य नामांतकरण संख्या 796 दिनांक शुन्य की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि अपीलान्ट अर्सा एक माह पूर्व अपनी माता स्व. जमना का खातेदारी रेकड की जानकारी लेने व अपनी माता की फौतगी पर अपने पक्ष में नामांतकरण भरवाने हलका पटवारी से संपर्क किया तब अपीलान्ट को आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 796 की जानकारी हुई और उनकी प्रमाणित प्रतियां दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को गलत तरीके से उसके हिस्से की भूमि बाबत पारित नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक शुन्य की जानकारी हुई और जानकारी से नियत समयावधि में उक्त अंगील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। लेकिन सदम्भाविक रूप से हुऐ विलम्ब को माफ किया जाए।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्य. गलाय श्री ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक शुन्य पारित करने में वाकयाती व कानूनी भारी भूल की है जो आदेश काबिल निरस्त करने के है तथा अपीलाधिन आराजी में "खेतीदास पुत्र रतनीदास" की फौतगी के बाद भरे गये नामान्तरकरण संख्या 796 में ताराचंद दत्तक पुत्र खेतीदास को विधिक वारीशान मानते हुए नामान्तरकरण भरा गया है जबकि अपीलांट की माता जमना जो खेतीदास एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान थी का न भर कर उत्तरदाता संख्या 2 के पिता ताराचंद पुत्र नथमल को दत्तक पुत्र बताते हुए भरा गया। जबकि ताराचंद जो खेतीदास के द्वारा कभी दत्तक या गोद नहीं लिया गया था खेतीदास की एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना थी लेकिन हल्का पटवारी ने "खेतीदास" के फौत होने बाद भरे गये फौतगी नामान्तरकरण में अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के आशय से बिना किसी सक्षम दस्तावेज के ताराचंद जो खेतीदास के सगे भाई नथमल



सहायक कलेक्टर (SDO)

बाघवत

जिला - बाङ्गमेर

का पुत्र था को गोद-दत्तक पुत्र मानते हुए नामांतकरण पारित किया गया है। तथा नामान्तरकरण पारित करते समय उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा खतेदायन की वास्तविक कब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की गई और न ही कोई वास्तविक कब्जा बाबत कोई टिप्पणी का इन्द्राज नामान्तरकरण की पुश्त पर इन्द्राज किया गया। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व कोई पत्रावली कायम नहीं की गई व ना ही अपीलान्तरण को किसी प्रकार की सूचना दी गई ना ही खेतीदास के विधिक वारीशान के बारे में उचित जांच की गई, इस प्रकार बिना पत्रावली कायम किए, बिना अपीलान्तरण को सुनवाई का अवसर दिये, उत्तरदाता संख्या 2 के पूर्वज ताराचंद के नाम से भर कर स्वीकृत कर दिया है। नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक शुभ्य शुरू से ही अवैध, शुभ्य, प्राकृतिक एवं विधिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल और क्षेत्राधिकार विहित होने के कारण निरस्त कर अपीलान्तरण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में पुनः नामान्तरण भरने का आदेश फरमावें।

हमने अपीलान्तरण वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलान्तरण के नैसर्गिक न्याय व सारवान अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलान्तरण के नैसर्गिक न्याय व सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर रखते हुए अपीलान्तरण की अपील अन्तर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलान्तरण नामान्तरकरण संख्या 796 दिनांक शुभ्य को खारिज किया जाकर तहसीलदार गिजा को प्रतिप्रेषित कर, मौजा रतेऊ पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिजा में खेत खसरा नं. 409, 877 / 409, रकबा क्रमशः 7.4057, 14.4311 हेक्टेयर व मौजा मद्यो की ढाणी पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिजा में खेत खसरा नं. 625 रकबा क्रमशः 9.6639 हेक्टेयर की भूमि में अपीलान्तरण के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गिजा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें।



निम्न आज दिनांक 17.2.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया :

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
(जगदीश सिंह भाशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु